न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 31/2024

बउनवान

शोभाराम आयु 40 वर्ष पुत्र श्री मदनलाल जाति कुम्हार, निवासी समसपुर, तहसील बारां, जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्द बघेरवाल, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 28.10.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 20.02.2024 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम समसपुर तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 753/559 रकबा 0.04 है., किस्म–बंजड़ पर अतिक्रमी मानकर 22/– रूपये अर्थदण्ड एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही दिया गया न ही कोई स्वतंत्र गवाहान पेश किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी मानकर अपीलांट की अनुपस्थिति में एक तरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट का उक्त वर्णित आराजियात पर कोई कब्जा नही है। उक्त भूमि पर अपीलांट का मकान बना हुआ है, जिसमें अपीलांट परिवार सहित निवास करता है। अपीलांट ने उक्त वर्णित आराजी पर इन्द्रा आवास योजना के तहत लोन प्राप्त करके मकान का निर्माण किया है जो कि सक्षम अधिकारियों ने पूरी जांच पड़ताल कर प्रार्थी के पक्ष में लोन जारी किया है। यदि उक्त आराजी अतिक्रमण की होती तो लोन स्वीकृत नहीं होता। अपीलांट के पास उक्त मकान के अलावा अन्य कोई रिहायशी मकान नहीं है। यदि प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी का परिवार बेघर हो जायेगा। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.02.2024 प्रकरण संख्या 417/2024 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.12 10:13:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित किया है। उक्त भूमि पर अपीलांट का मकान बना हुआ है, जिसमें अपीलांट परिवार सहित निवास करता है। अपीलांट ने उक्त वर्णित आराजी पर इन्द्रा आवास योजना के तहत लोन प्राप्त करके मकान का निर्माण किया है जो कि सक्षम अधिकारियों ने पूरी जांच पड़ताल कर प्रार्थी के पक्ष में लोन जारी किया है। यदि उक्त आराजी अतिक्रमण की होती तो लोन स्वीकृत नहीं होता। अपीलांट के पास उक्त मकान के अलावा अन्य कोई रिहायशी मकान नहीं है। यदि प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी का परिवार बेघर हो जायेगा। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.02.2024 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का एवं अपीलाधीन निर्णय अनुसार अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 584/22 मे पारित निर्णय दिनांक 21.02.2023 द्वारा बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया, गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 753/559 रकबा 0.04 है0 किस्म सिवायचक ग्राम समसपुर पर सम्वत् 2079 में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 584/22 में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2023 से बेदखल किया जाना अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का के बयान से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 417/2024 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.12 10:13:09 IST
Reason: SelfAttested